प्रेस नोट दिनांक 21.11.2024 जनपद प्रतापगढ़

दहेज हत्या के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया गया-

-प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
-थाना उदयपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत अमावा पुलिया के पास से 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-
-वादिनी की पुत्री के ससुरालजन द्वारा वादिनी की पुत्री से दहेज के लिए हत्या करना एवं दहेज की मांग करना व दहेज के लिए प्रताड़ित करने के संबंध में थाना उदयपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 18.11.2024 को वादिनी ने थाना उदयपुर पर प्रार्थना पत्र दिया कि वादिनी की पुत्री के ससुरालजन पति, जेठानी, सास, ससुर के द्वारा वादिनी की पुत्री को फांसी लगाकर मार डाले ।वादिनी की पुत्री से ससुरालजन दहेज की मांग करते थे व दहेज के लिए प्रताडित करते थे। जिसके संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 193/2024 धारा 80/85 BNS व 3/4 DP Act बनाम 04 व्यक्ति नामजद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के नेतृत्व में थाना उदयपुर के उ0नि0 सचिन कुमार मय हमराह हे0का0 वहाबुद्दीन द्वारा देखभाल क्षेत्र/ वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 193/2024 धारा 80/85 BNS व 3/4 DP Act से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त योगेश रजक पुत्र रामसजीवन रजक उम्र करीब 27 वर्ष नि०ग्रा० उमरार थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत अमावा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
योगेश रजक पुत्र रामसजीवन रजक उम्र करीब 27 वर्ष नि०ग्रा० उमरार थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 सचिन कुमार मय हमराह हे0का0 वहाबुद्दीन थाना उदयपुर, प्रतापगढ़।

हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 1 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

-प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
-थाना हथिगवां पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हथिगवां नहर चौराहे के पास से 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-
-दिनांक 14.11.2024 को सुबह सुनियोजित तरीके से हत्या के इरादे से जानलेवा हमला किया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 18.11.2024 को थाना हथिगवां पर वादिनी निवासी बक्सी का पुरवा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था। वादिनी के पति पर दिनांक 14 नवंबर 2024 को सुबह सुनियोजित तरीके से हत्या करने के इरादे से जानलेवा हमला किया गया। वादिनी का पति जब सुबह पड़ोस में फूल तोड़ने गया था। उसी समय आलोक कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 इंद्र दत्त मिश्रा ने गाली-गलौज करते हुए धारदार हथियार से वादिनी के पति के गले पर वार करने का प्रयास किया। जिससे वादिनी का पति को गंभीर रुप ले घायल कर दिया। जिसके संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना हथिगवां में मु0अ0सं0 239/24 धारा 115 (2)/352/109/351(3) बीएनएस बनाम आलोक कुमार मिश्रा उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना हथिगवां के उ0नि0 श्याम बिहारी सिंह मय हमराह का0 विजय कुमार व का0 चन्द्रपाल सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 239/24 धारा 115(2)/352/109/351(3) बीएनएस से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त, 1.आलोक कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 इन्द्रदत्त मिश्रा निवासी ग्राम बटौआ मजरा परसीपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को थानाक्षेत्र हथिगवां के हथिगवां नहर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त से पूछताछ करने बताया कि मेरे व निवासी बक्शी का पुरवा मजरा परसीपुर के कमलेशचन्द्र मिश्रा के साथ जमीन को लेकर पुराना विवाद है। जिसके कारण मैंने दिनाँक 14.11.2024 को कमलेशचन्द्र मिश्रा को जान से मारने की नियत से लाठी से उनके सिर पर कई बार मारा था। मृत समझकर छोड़कर भाग गया था।

अभियुक्त का विवरण-
1. आलोक कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 इन्द्रदत्त मिश्रा निवासी ग्राम बटौआ मजरा परसीपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष।

पुलिस टीम- उ0नि0 श्याम बिहारी सिंह मय हमराह का0 विजय कुमार व का0 चन्द्रपाल सिंह थाना हथिगवां, प्रतापगढ़।

सामूहिक दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

-प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
-वादिनी के साथ आरोपीगणों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म, छेड़खानी, मारपीट करने के अभियोग से संबंधित में 01 वांछित अभियुक्त को थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धरमपुर में अभियुक्त के घर के पास से किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त का विवरण-
दिनांक 11.10.2024 को वादिनी ने थाना मान्धाता पर प्रार्थना पत्र दिया था कि वादिनी के साथ मारपीट कर छेड़खानी एवं सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। जिसके संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना मान्धाता पर मु0अ0सं0 153/2024 धारा 115(2), 352, 76, 351(3) 127(2), 70(1) बीएनएस बनाम 03 नामजद व 02 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना मान्धाता के निरीक्षक सुधीर कुमार पाण्डेय मय हमराह का0 सुनील यादव, का0 अंकित कुमार, चालक हे0का0 रतनलाल त्रिपाठी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचना के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना मान्धाता पर पंजीकृत मु0अ0सं0 153/2024 धारा 115(2), 352, 76, 351(3) 127(2), 70(1) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त साबित अली पुत्र रज्जब अली निवासी ग्राम धरमपुर थाना मान्धाता, प्रतापगढ़ को थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धरमपुर में अभियुक्त के घर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01- अभियुक्त साबित अली पुत्र रज्जब अली निवासी ग्राम धरमपुर थाना मान्धाता, प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
निरीक्षक सुधीर कुमार पाण्डेय मय हमराह का0 सुनील यादव, का0 अंकित कुमार, चालक हे0का0 रतनलाल त्रिपाठी थाना मान्धाता, प्रतापगढ़।

कुल 60 लीटर अवैध देशी शराब के साथ 03 अभियुक्त/अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार,

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों/ अवैध शराब निष्कर्षण/विक्रय के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम हण्डौर से कुल 60 लीटर अवैध देशी शराब के साथ कुल 03 अभियुक्त/अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

1- उ0नि0 अमरेश कुमार यादव मय म0उ0नि0 ज्योति सिंह मय हमराह हे0का0 अजय प्रजापति व म0का0 रंजना भारद्वाज द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान दि0 20.11.24 को 01 महिला को 01 अदद पिपिया में 20 लीटर कच्ची अवैध शराब के साथ ग्राम हण्डौर बल्दियान से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में थाना लीलापुर में मु0अ0सं0 417 / 24 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

2- उ0नि0 अमरेश कुमार यादव मय म0उ0नि0 ज्योति सिंह मय हमराह हे0का0 अजय प्रजापति व म0का0 रंजना भारद्वाज द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान दि0 20.11.24 को 01 व्यक्ति आशिक जोशी पुत्र जीतलाल जोशी नि०ग्रा० बासूपुर पौडिया थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ को 01 अदद पिपिया में 20 लीटर कच्ची अवैध शराब के साथ हंडौर चौराहा के पास ग्राम हंडौर से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के संबंध में थाना लीलापुर में मु0अ0सं0 418 / 24 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

3- उ0नि0 अमरेश कुमार यादव मय म0उ0नि0 ज्योति सिंह मय हमराह हे0का0 अजय प्रजापति व म0का0 रंजना भारद्वाज द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान दि0 21.11.24 को 01 व्यक्ति राजू कोरी पुत्र मांगू कोरी निवासी ग्राम नागापुर तिलौरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ को 01 अदद पिपिया में 20 लीटर कच्ची अवैध शराब के साथ बल्दियान की ओर मुडने वाला खडंजा ग्राम हण्डौर बल्दियान से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के संबंध में थाना लीलापुर में मु0अ0सं0 419 / 24 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/ अभियुक्ता का विवरण-
01- राजू कोरी पुत्र मांगू कोरी निवासी ग्राम नागापुर तिलौरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ।
02- आशिक जोशी पुत्र जीतलाल जोशी नि०ग्रा० बासूपुर पौडिया थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ।
03- 01 महिला।

कुल बरामदगी- कुल 60 लीटर अवैध देशी शराब बरामद।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अमरेश कुमार यादव मय म0उ0नि0 ज्योति सिंह मय हमराह हे0का0 अजय प्रजापति व म0का0 रंजना भारद्वाज थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ0नि0 अमित कुमार सिंह हमराह हे0का0 अमरनाथ यादव देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान, केस नं0 963/09, मु0अ0सं0 374/08, धारा 380,411 भादवि थाना जार्ज टाउन प्रयागराज से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त पप्पू उर्फ रमजान डफाली पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम मिर्जापुर चौराही थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ उम्र 46 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-
01. पप्पू उर्फ रमजान डफाली पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम मिर्जापुर चौराही थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ उम्र 46 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अमित कुमार सिंह हमराह हे0का0 अमरनाथ यादव थाना रानीगंज, जनपद- प्रतापगढ़।

एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना लालगंज पुलिस द्वारा की गई गैंगस्टर की कार्यवाही-

-लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त अन्तर्जनपदीय 02 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना लालगंज में गैंगेस्टर एक्ट के तहत किया गया अभियोग पंजीकृत-

-गिरोह लीडर मिथुन कुमार साहू व सदस्य प्रकाश वर्मा उर्फ जियावन उर्फ जे0पी0 अन्तर्जनपदीय स्तर का शातिर अपराधी है जो लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट जैसे अपराधों में संलिप्त है-
-गिरोह का लीडर मिथुन कुमार साहू व सदस्य प्रकाश वर्मा उर्फ जियावन उर्फ जे0पी0 पूर्व से जेल में निरुद्ध है।
-दिनांक 18.08.2024 को रात्रि मे वादी निवासी सरस्वती रोड विद्या मन्दिर उमापुर रोड वार्ड सं.11 थाना लालगंज प्रतापगढ के घर में घुसकर आलमारी के लाकर मे रखे साढे चार लाख का सोने का जेवर व एक लाख नगद कैस चोरी की गयी थी, जिसके सम्बन्ध मे थाना लालगंज पर मु0अ0स0-334/2024 धारा 305, 331(4)बीएनएस मे पंजीकृत किया गया-

-दिनांक 19.08.2024 को रात्रि मे वादी निवासी ग्राम पहिलेपार मजरे ढिगंवस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ, डिपो कार्यशाला लालगंज के पीछे मनीपुर रोड पर किराए के मकान मे रहता है, के घर का ताला तोडकर कीमती सामान जेवरात, गहने व 40000 रूपये चोरी की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में मु.अ.सं. 335/24 धारा 305/331(4)/317 (2) बीएनएस थाना लालगंज प्रतापगढ में पंजीकृत किया गया-
-दिनांक 21.08.2024 को बरगदवा बाबा स्थान के पास गाली देते व ललकारते हुए पुलिस बल पर फायर कर देने व चोरी का सामान बरामद होने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0-338/2024 धारा-109, 3(5), 352 बीएनएस 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया-

प्रतापगढ़।
श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयागराज श्री भानू भास्कर व पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री प्रेम गौतम के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है।

अपर पुलिस अधीक्षक,पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना लालगंज श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में दिनांक 20.11.2024 को एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंग लीडर (गैंग

लीडर) मिथुन कुमार साहू पुत्र भुल्लर प्रसाद साहू निवासी असैदापुर थाना गौरीगंज जनपद अमेठी व गैंग सदस्य प्रकाश वर्मा उर्फ जियावन उर्फ जे.पी. पुत्र राममूरत निवासी मुसाफिरखाना रोड वार्ड न. 24 कटरा लालगंज थाना गौरीगंज जनपद अमेठी के विरुद्ध नियमानुसार मु0अ0सं0 483/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 का बनाम 02 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरोह का लीडर मिथुन कुमार साहू व सदस्य प्रकाश वर्मा उर्फ जियावन उर्फ जे.पी. पूर्व से जेल में निरुद्ध है।

घटना का पूर्व का विवरण-
अभियुक्त (गैंग लीडर) मिथुन कुमार साहू पुत्र भुल्लर प्रसाद साहू निवासी असैदापुर थाना गौरीगंज जनपद अमेठी व गैंग सदस्य प्रकाश वर्मा उर्फ जियावन उर्फ जे.पी. पुत्र राममूरत निवासी मुसाफिरखाना रोड वार्ड न. 24 कटरा लालगंज थाना गौरीगंज जनपद अमेठी के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह कायम कर रखा है जो अन्तर्जनपदीय स्तर पर सक्रिय है एवं लूट, चोरी जैसी घटनायें कारित करते हैं।

01. इस गिरोह द्वारा दिनांक 18.08.2024 को रात्रि मे श्री रविन्द्रनाथ त्रिपाठी (एडवोकेट) पुत्र स्व. विश्वरुप त्रिपाठी निवासी सरस्वती रोड विद्या मन्दिर उमापुर रोड वार्ड सं. 11 थाना लालगंज प्रतापगढ के घर में घुसकर आलमारी के लाकर मे रखे साढे चार लाख का सोने का जेवर व एक लाख नगद कैस चोरी की गयी थी, जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-334/2024 धारा 305, 331(4)बीएनएस मे पंजीकृत कराया गया दौरान विवेचना व अभियुक्तगण के पास से चोरी का माल बरामदगी व संकलित साक्ष्य / गिरफ्तारी से धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर गैंग लीडर मिथुन कुमार साहू पुत्र भुल्लर प्रसाद साहू सह अभियुक्त / गैंग सदस्य प्रकाश वर्मा उर्फ जियावन उर्फ जे. पी. के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा घटना का शीघ्र अनावरण व गिरफ्तारी हेतु सख्त निर्देश दिए थे। जिसके क्रम में दिनांक 21.08.2024 को बरगदवा बाबा स्थान के पास चेकिंग के दौरान इस गिरोह के गैंग लीडर मिथुन कुमार साहू व गैंग सदस्य प्रकाश वर्मा उर्फ जियावन उर्फ जे0पी0 द्वारा गाली देते व ललकारते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग करने व पुलिस टीम द्वारा जबाबी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में दाखिला फर्द के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-338/2024 धारा-109, 3(5), 352 बीएनएस 3/25 आर्म्स एक्ट गैंग लीडर गैंग लीडर मिथुन कुमार साहू व सह अभियुक्त / गैंग सदस्य प्रकाश वर्मा उर्फ जियावन उर्फ जे. पी. पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है।

02. इस गिरोह के गैंग लीडर मिथुन कुमार साहू व गैंग सदस्य प्रकाश वर्मा उर्फ जियावन उर्फ जे0पी0 द्वारा दिनांक 19.08.2024 को रात्रि मे प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र स्व. पुरुषोत्तमलाल निवासी ग्राम पहिलेपार मजरे ढिगंवस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ जो डिपो कार्यशाला लालगंज के पीछे मनीपुर रोड पर किराए के मकान मे रहता है, के घर का ताला तोडकर कीमती सामान जेवरात, गहने व 40000 रूपये चोरी की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में मु.अ.सं. 335/24 धारा 305/331(4)/317 (2) बीएनएस थाना लालगंज प्रतापगढ में पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान चोरी का माल बरामद होने पर दौरान विवेचना व साक्ष्य संकलन / गिरफ्तारी से धारा 317(2) की बढोत्तरी कर गैंग लीडर मिथुन कुमार साहू पुत्र भुल्लर प्रसाद साहू सह अभियुक्त / गैंग सदस्य प्रकाश वर्मा उर्फ जियावन उर्फ जे. पी. के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है।

03. इस गिरोह के गैंग लीडर मिथुन कुमार साहू व गैंग सदस्य प्रकाश वर्मा उर्फ जियावन उर्फ जे0पी0 द्वारा दिनांक 21.08.2024 को बरगदवा बाबा स्थान के पास गाली देते व ललकारते हुए पुलिस बल पर फायर कर देने व चोरी का सामान बरामद होने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0-338/2024 धारा-109, 3(5), 352 बीएनएस 3/25 आर्म्स एक्ट गैंग लीडर गैंग लीडर मिथुन कुमार साहू व सह अभियुक्त / गैंग सदस्य प्रकाश वर्मा उर्फ जियावन उर्फ जे. पी. उपरोक्त के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र मा0. न्यायालय प्रेषित किया गया है।

गैंग लीडर व गैंग सदस्य का आपराधिक इतिहास-

01.(गैंग लीडर) मिथुन कुमार साहू पुत्र भुल्लर प्रसाद साहू निवासी असैदापुर थाना गौरीगंज जनपद अमेठी का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 334/2024 धारा- 305, 331(4), 317(2) बी0एन0एस0 थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 335/2024 धारा- 305, 331(4), 317(2) बी0एन0एस0 थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 338/2024 धारा- 109, 3(5), 352 बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0 84/2017 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
05. मु0अ0सं0 85/2017 धारा- 419, 420, 468, 471 भादवि0 थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
06. मु0अ0सं0 202/2018 धारा- 307 भादवि0 थाना बाजार शुक्ल, जनपद अमेठी।
07. मु0अ0सं0 205/2018 धारा-216 भादवि0 थाना बाजार शुक्ल, जनपद अमेठी।
08. मु0अ0सं0 137/2019 धारा-392, 411 भादवि0 थाना संग्रामपुर, जनपद अमेठी।

02. (गैंग सदस्य) प्रकाश वर्मा उर्फ जियावन उर्फ जे.पी. पुत्र राममूरत निवासी मुसाफिरखाना रोड वार्ड न. 24 कटरा लालगंज थाना गौरीगंज जनपद अमेठी का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 1040/2017 धारा-363, 366 भादवि0 थाना गौरीगंज, जनपद अमेठी।
02. मु0अ0सं0 63/2018 धारा-379, 411 भादवि0 थाना गौरीगंज, जनपद अमेठी।
03. मु0अ0सं0 124/2021 धारा-147, 452, 323, 506 भादवि0 थाना गौरीगंज, जनपद अमेठी।
04. मु0अ0सं0 125/2022 धारा-392, 411 भादवि0 थाना गौरीगंज, जनपद अमेठी।
05. मु0अ0सं0 502/2022 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट थाना गौरीगंज, जनपद अमेठी।
06. मु0अ0सं0 337/2022 धारा-380, 411 भादवि0 थाना अमेठी, जनपद अमेठी।
07. मु0अ0सं0 55/2022 धारा-395, 412 भादवि0 थाना मुंशीगंज, जनपद अमेठी।
08. मु0अ0सं0 56/2022 धारा-307, 34 भादवि0 थाना मुंशीगंज, जनपद अमेठी।
09. मु0अ0सं0 57/2022 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुंशीगंज, जनपद अमेठी।
10. मु0अ0सं0 98/2022 धारा-2/ 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना मुंशीगंज, जनपद अमेठी।
11. मु0अ0सं0 84/2023 धारा-3/ 25 आर्म्स एक्ट थाना जायस, जनपद अमेठी।
12. मु0अ0सं0 129/2023 धारा-8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गौरीगंज, जनपद अमेठी।
13. मु0अ0सं0 242/2023 धारा-457, 380, 411, 413 भादवि0 थाना मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी।
14. मु0अ0सं0 81/2024 धारा-3/ 25 आर्म्स एक्ट थाना गौरीगंज, जनपद अमेठी।
15. मु0अ0सं0 334/2024 धारा- 305, 331(4), 317(2) बी0एन0एस0 थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
16. मु0अ0सं0 335/2024 धारा- 305, 331(4), 317(2) बी0एन0एस0 थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
17. मु0अ0सं0 338/2024 धारा- 109, 3(5), 352 बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बयान– जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए प्रतापगढ़ पुलिस कटिबद्ध है। अपराधियों को किसी भी दशा में छोड़ा नहीं जाएगा। शीघ्र गिरफ्तार कर अपराधियों को जेल भेजे जाने की कार्यवाही जारी है। शांत एवं सुरक्षित समाज निर्माण में प्रतापगढ़ पुलिस का सहयोग करें।